

12.11.16

राज्य द्वारा एडीपीओ।

अभियुक्त सहित अधिवक्ता श्री एम0एस0 यादव।

फरियादी सावित्री प्रीसिटिंग नोटिस के पालन में स्वयं उप0।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में आयोजित नेशनल मेगा लोक अदालत की खण्डपीठ क्रमांक 21 दि0 12.11.16 में उभयपक्ष ने उपस्थित होकर व्यक्त किया कि वे पति पत्नी हैं उनका घरेलू बातों को लेकर विवाद हो गया है। अब उनके मध्य स्वेच्छा पूर्वक राजीनामा हो गया है, वे साथ साथ रह रहे हैं। अतः प्रकरण समाप्त किए जाने का निवेदन किया।

फरियादी की ओर से एक राजीनामा आवेदन पत्र, अतर्गत धारा 320 द0प्र0स0 राजीनामा हेतु अनुमति बाबत मय राजीनामा हेतु अनुमति आवेदन पत्र अतर्गत धारा 320-2 फरियादी के हस्ताक्षर, मय लोक अदालत डॉकेट हस्ताक्षर कर प्रस्तुत किया गया। फरियादी एवं अभियुक्त की पहचान अधिवक्ता श्री एम0एस0 यादव ने की।

उभयपक्षों को सुना प्रकरण का अवलोकन किया।

फरियादी ने अभियुक्त से राजीनामा बिना किसी भय, दवाब, लोभ-लालच के पारस्परिक संबंधों को मधुर रखने के आशय से किया जाना प्रकट किया है।

अभियुक्त पर भादवि0 की धारा 294, 323 के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है। उक्त धारा का आरोप न्यायालय की अनुमति से फरियादी द्वारा शमनीय है। पीठ सदस्यमण द्वारा प्रकरण में राजीनामा स्वीकार किए जाने की अनुशंसा की

कानूनी वरदा

सावित्री

G. S. Yadav

12/11/16

राज्य सरकार




Date of  
Order or  
Proceeding


Order or proceeding with Signature of Presiding Officer


गयी। पक्षकारों के मधुर संबंध रखने के आशय एवं सामाजिक शांति बनाये रखने के अपराधिक प्रशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये राजीनामा अनुमति आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित दर्शित होता है।

अतः राजीनामा बाद तस्दीक मय आवेदन पत्र के स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त को धारा 294, 323 भा०द०वि० के अपराध आरोप से राजीनामा के आधार पर उपशमन की अनुमति प्रदान की जाती है जिसका प्रभाव अभियुक्त की दोषमुक्ति होगा। अभियुक्त के प्रतिभूति व बधपत्र भारमुक्त किए जाते हैं।

प्रकरण में जब्त संपत्ति मूल्यहीन होने से अपील अवधि बाद नष्ट की जावे। प्रकरण का परिणाम सुसंगत पंजी में दर्जकर अभिलेखागार भेजा जावे।

  
सदस्य

  
सदस्य

  
पीठासीन अधिकारी

FIN  
05/11/16 (द.प्र.सं. को)  
Under Sect